UPMB010003852026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी(सी०ए०डब्लू०) महोबा।

उपस्थित-तेन्द्र पाल, उच्चतर न्यायिक सेवा- UP-1719

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-186/2026

आशीष पुत्र धर्मजीत उर्फ कामबिलोरी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मुरानी थाना श्रीनगर जिला महोबा (उ०प्र०)। .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। .....प्रतिपक्षी

मु0 अ 0 सं0-10/2026
धारा-117(2), 126(2), 115(2), 351(2), 110 बी0 एन 0 एस 0
थाना-श्रीनगर, जिला महोबा।

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त आशीष, जो मु0 अ 0 सं0-10/2026, अन्तर्गत धारा 117(2), 126(2), 115(2), 351(2), 110 बी0 एन 0 एस 0, थाना श्रीनगर, जिला महोबा के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता अमर सिंह द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।
2. प्रथम सूचनाकर्ती अर्चना राजपूत पत्नी बलवान राजपूत ने थाना प्रभारी श्रीनगर जिला महोबा को इस आशय की तहरीर दी कि वह ग्राम मुरानी थाना श्रीनगर जिला महोबा की निवासनी है। घटना दिनांक 30.01.2026 को समय 05.30 पी०एम० की है। उसका पति बलवान राजपूत पुत्र श्रीपत कुआ पूजन से वापस घर आ रहा था तभी गाँव के ही आशीष पुत्र धर्मजीत व धर्मजीत पुत्र अज्ञात ने उसके पति का रास्ता रोकर मेन रोड मुरानी पर उसके पति के साथ मारपीट की। मारपीट से उसके पति का पैर फ्रैक्चर हो गया व हाथ मुँह में काफी चोटे आयी हैं। कुल्हाड़ी व डण्डे से मारपीट की है। लोग बचाने आये तो जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उसके पति महोबा अस्पताल में एडमिट है। सूचना देने आयी है। सूचना दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि वह उक्त अपराध के मामले में निर्दोष है। उसे उक्त मामले में झूठा फॅसाया गया है। उसके द्वारा कतई कोई आरोपित अपराध कारित नहीं किया गया है, न उसकी उक्त आरोपित अपराध के मामले में संलिप्तता ही है। गॉवदारी की रंजिश से झूठा फॅसाया गया है। प्रथम सूचना

रिपोर्ट एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से उस पर आरोपित अपराध का मामला नहीं बनता है। वह घर का अकेला कर्ता धर्ता व कृषक व्यक्ति है। इस समय फसल कटाई का कार्य चल रहा है जिससे उसके जेल में बन्द रहने से कृषि कार्य में व्यवधान होने के कारण उसे सख्त हकतलफी है। वह किसी अपराध के मामले में सजायाफ्ता नहीं है। वह दिनाँक 26.02.2026 से जेल में बन्द हैं। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. अभियोजन व वादिनी मुकदमा की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मजरूब के बहुत ज्यादा चोटें आयी है। खाने पीने की स्थिति में नहीं है, उसका जबड़ा टूट गया है और डॉक्टर ने अपने धारा-180 बी०एन०एस०एस० के बयान में बताया है कि मजरूब की चोटों की वजह से मृत्यु भी हो सकती थी।

5. उभयपक्ष को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया। अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के विरूद्ध गाली-गलौज करने, लाठी डण्डों से मारपीट करने तथा कुल्हाड़ी से वार करने का कथन किया गया है। मजरूब की चिकित्सीय आख्या में हाथ, पैर व जबड़े में फैक्चर आना अंकित है। सिर पर कोई चोट होने का उल्लेख नहीं है। चोटें कठोर वस्तु से पहुॅचाया जाना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है और आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आशीष की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

1. अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पचास हजार रुपये का स्व–बन्धपत्र तथा समान धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करेगा , जमानतदार उसके परिवार का सदस्य होगा।

2. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त विवेचना में सहयोग करेगा। विचारण के दौरान नियत तिथियों पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

3. अभियुक्त ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, जिसके करने का उस पर अभियोग या संदेह है।

4. अभियुक्त प्रकरण के तथ्य से अवगत किसी व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा, या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा

5. अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष अपने अस्थायी एवं स्थायी पता एवं अपना मोबाइल नम्बर यदि हो, प्रमाण सहित प्रस्तुत करेगा। विचारण के दौरान पते में परिवर्तन होने पर अभियुक्त इसकी जानकारी न्यायालय को देगा।

6. जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष को जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का तथा न्यायालय को धारा 269 बी०एन०एस० के प्राविधान के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

तदनुसार अभियुक्त की ओर से जमानत, बन्धपत्र एवं अण्डरटेकिंग सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 04.04.2026

(तेन्द्र पाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP-1719

Digitally signed by TENDRA PAL
Date: 2026.04.13 15:07:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court